

वचनबद्धता / घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/विधवा श्रीनिवासी गांव
..... डा0पंचायत तहसील जिला
सोलन हि0 प्र0 का/की स्थाई निवासी हूं! मेरी जन्म तिथि मुताबिक पंचायत/नगर निकाय रिकॉर्डहै।
मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि :-
वृद्धावस्था

1. यह है कि मुझे व मेरे पत्नी/मेरे पति श्रीमति को सरकारी/अर्धसरकारी विभाग से किसी भी प्रकार की सेवानिवृति पेंशन/पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती है ।
2. मैं व मेरे पति/पत्नी आयकर दाता नहीं हूँ ।
3. मैं मूलरूप से हिमाचल प्रदेश की/का स्थाई निवासी हूँ ।

विधवा/परित्यागता/एकल नारी

1. यह है कि मेरे पति श्री की मृत्यु दिनांक को हो गई है मैं अपने परिवार के साथ ही रहती हूँ, और मैंने पुर्नविवाह न किया है न ही भविष्य में करूंगी !
2. यह है कि मेरा तलाक हो चुका है मैं तलाकशुदा नारी हूँ ।
3. यह है कि मेरे पति गत 7 वर्षों से लापता है अथवा मैं गत 7 वर्षों से पति से अलग रह रही हूँ/मैं अवविवाहित हूँ और अपने माता पिता के साथ रह रही हूँ। (45 वर्षों से अधिक आयु की महिला)।
4. यह है कि मैं विधवा/परित्यागता/एकल नारी की श्रेणी में आती हूँ तथा मैं किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी निगम/बोर्ड इत्यादि में कार्यरत नहीं हूँ और न ही कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रही हूँ ।
5. यह है कि मैं आयकर दाता नहीं हूँ ।
6. यह है कि यदि भविष्य में मुझे कोई अन्य पेंशन व भत्ता मिलता है तो मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वयं बन्द करवा दुर्गी ।
7. मैं मूलरूप से हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हूँ ।

दिव्यांग राहत भत्ता

1. यह है कि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ तथा मैं या मेरे अभिभावक किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी निगम/बोर्ड इत्यादि में कार्यरत नहीं हूँ और न ही कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूँ ।
2. यह है कि मैं आयकर दाता नहीं हूँ ।
3. मैं मूलरूप से हिमाचल प्रदेश की/का स्थाई निवासी हूँ ।

मुझे कल्याण विभाग द्वारा पेंशन योजना के तहत पेंशन लेने हेतु प्रमाण का आवश्यकता पडी है । यदि उपरोक्त वर्णित तथ्यों में किसी तरह का असत्य पाया जाता है तो मैं कानूनी तौर पर स्वयं सजावर तसव्वर हुंगा/हुंगी !

घोषणा कर्ता

श्री/श्रीमति

सत्यापन

घोषणा पत्र मेरे ज्ञान व विश्वास से सत्य व यथार्थ है, इसमें कोई भी तथ्य मिथ्या नहीं है !

घोषणा कर्ता

श्री/श्रीमति

सत्यापित

पंचायत सचिव/प्रधान